

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ /18, लखनऊ : दिनांक : 22 अक्टूबर-2018,

-:: आदेश ::-

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय नोएडा के पत्रांक-220/18 दिनांक 11.09.18 पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 नोएडा में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित विविध प्रार्थना-पत्र संख्या-38/08 वर्ष 2000-01, 39/08 वर्ष 2003-04 तथा 40/08 वर्ष 2001-02(अर्न्तगत धारा-22 व्यापार कर अधिनियम) की सुनवाई/ निस्तारण हेतु दिनांक 19.11.2018 के लिए श्री महताब अहमद, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम नोएडा, श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद तथा श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 नोएडा को सम्मिलित करते हुए पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0-22.10.18

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/2231/2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय नोएडा।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।